दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 23 अगस्त, 2024

अवमान वा. (सि.) 1322/2024

अंकिता सिंह ..... याचिकाकर्ता

के माध्यम से: श्री प्रमोद के. तिवारी और श्री के.के. सिंह, अधिवक्तागण।

बनाम

आनंद विक्रम सिंह ..... प्रत्यर्थी

के माध्यम से: कोई नहीं।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री धर्मेश शर्मा

<u>न्या. धर्मेश शर्मा (मौखिक)</u>

<u>सि.वि. आ. 48309/2024, सि.वि.आ. 48310/2024 (छूट हेतु)।</u>

1. अनुज्ञात, सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन।

2. आवेदनों का निपटान किया जाता है।

<u>अवमान वा. (सि.) 1322/2024 व सि.वि. आ. 48308/2024</u>

3. याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र के समक्ष दिनांक 23.10.2017 को हुए समझौता करार में अभिलिखित बयान/वचन

के उल्लंघन और जानबूझकर अवज्ञा हेतु प्रत्यर्थी के विरुद्ध अवमान कार्यवाही शुरू करने की मांग की है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया है कि दिनांक 23.10.2017 के समझौता ज्ञापन ["**एमओयू**"] में अभिलिखित याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए बयान के अनुसरण में, प्रत्यर्थी को जमानत आवेदन सं. 2364/2016 में दिनांक 24.10.2017 के आदेश द्वारा इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी ने ऐसा लाभ प्राप्त करने के बावजूद, एमओयू की निबंधन और शर्तों का पालन नहीं किया और भरणपोषण (अतीत, वर्तमान और भविष्य) और स्थायी निर्वाह व्यय के साथ-साथ स्त्रीधन के अलावा याचिकाकर्ता के दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान हेतु सहमत 20 लाख रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान नहीं किया गया।

5. यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपने वचन से मुकर जाने पर, याचिकाकर्ता ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ("**सीपीसी**") के आदेश IX नियम 13 के अनुसरण में एक आवेदन किया, जिसमें विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा याचिका सं. 662/2013 में पारित विवाह-विच्छेद की *एकपक्षीय* डिक्री को अपास्त करने की मांग की गई, जिसे अनुज्ञात कर दिया गया, परंतु प्रत्यर्थी द्वारा इसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है, जो मामला अभी भी *न्यायाधीन* है।

6. उक्त पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता अवमान हेतु वर्तमान याचिका दायर करने में 2054 दिनों से अधिक के विलंब की व्याख्या करने में असमर्थ है। यह अभिवाक् कि आप.वि.वा. 5619/2018 में दिनांक 01.12.2023 के आदेश के अंतर्गत इस न्यायालय के समक्ष दायर उसकी जमानत रद्द करने के आवेदन को खारिज करने पर वर्तमान याचिका दायर करने हेतु वादहेतुक उद्भूत हुआ, ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है। करार में समयबद्ध तरीके से अनुपालन अनुबद्ध किया गया था, और दुर्भाग्यपूर्ण रूप से, याचिकाकर्ता ने बहुत लंबे समय तक अपने विधिक अधिकार का दुरुपयोग किया। इसलिए, वर्तमान याचिका को समय सीमा से वर्जित किए जाने के कारण प्रत्यर्थी के विरुद्ध अवमान कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई उचित आधार नहीं है। याचिकाकर्ता विधि के अनुसार प्रत्यर्थी के विरुद्ध अन्य उपायों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगा।

7. परिणामस्वरूप, वर्तमान अवमान याचिका तथा आवेदन पूर्वग्रह रहित होने के कारण खारिज किये जाते हैं।

न्या.धर्मेश शर्मा

अगस्त 23, 2024

सादिक

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*